

केवाला दाता :-

भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड (बांधगोडा)
बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, झारखंड।

निबन्धन संख्या :- 6/88 - चास, दिनांक : 14 जून 1988

ये समिति के तरफ से केवालादाता समिति के :-

सचिव श्री श्री उताप सिंह पिता श्री उदय नाथ सिंह
जाति राजपुत पेशा व्यवसाय निवास स्थान सैन्ट्रल B: अखण्ड रक्षण पीठ
187-1 (लाउन्ड्री) बोकारो स्टील सिटी थाना सिटी आन्ना जिला - बोकारो, झारखंड

केवाला ग्रहिता :-

श्री शिव शंकर जायसवाल पिता / प्रति अखण्ड केदार नाथ जायसवाल
जाति कुनीत्रा पेशा व्यवसाय निवास स्थान मेन शैड चास (सहावीर-वोक)
निम्न फ्लोर आर्डी थाना आरन जिला बोकारो (झारखण्ड)

सदस्य सं० 331

लेख्य प्रकार :- विक्रय पत्र (सप्रतिबंधित) :

सम्पत्ति का सम्योचित मूल्य : 80,000 = 00 (आसी हजार रुपया मात्र)

मौजा :- बाँधगोडा के अन्दर 11.22 टाईप प्लॉट, क्षेत्रफल 50x82 फुट, सालाना
मालगुजारी 1 (24) रु मालिक जमिनदार झारखण्ड सरकार, अंचल कार्यालय- चास
रकबा 9.44 डेसिमल।

तफशील

जिला-बोकारो, सदर रजिस्ट्री ऑफिस - बोकारो, परगना - खांसपोल,
अन्तर्गत 35 न० थाना, मौजा - बाँधगोडा के अन्दर रैयती स्वत्व का खाता नं० 6.6

23 न० प्लॉट नं० 2270, 2282 हैं।

उक्त जमीन दिनांक 22-12-90 से 11-1-2005 ता० को चास
रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज संख्या 10908 वर्ष 15.6 के

तहत केवाला दस्तावेज द्वारा सर्वश्री माती बिशारी आला देवी, पिता अखण्ड शालीग्राम महात्मा
से समिति द्वारा खरीदा गया है। (i) श्री नीकरण चन्द्र महात्मा (ii) श्री ज्योत्सना महात्मा
(iii) श्री संतोष चन्द्र महात्मा (iv) श्री दीपक कुमार महात्मा

के तहत समिति का प्लॉट नं० 331 है जिसे आज समिति के तरफ से
हस्तान्तरित कर रहा हूँ।

चौहद्दी


- उ०... लाउन्ड्री न० 330
- द०... लाउन्ड्री न० 332
- पू 2272
- प०... लाउन्ड्री न० 324 एवं 325

दस्तावेज नं० 187-1

Law paid
8.50
0.24
3.44

Law to be paid
187-2008
सचिव
भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति च०
(बांधगोडा)

Registered under
Grouped under Govt.
Provida Housing
No. 2381 F dated
23rd October 1974
No. 2386 closed with
No. 1914.



Identified by Mr. d. Anwar Ali
Advocate
187-1

Law to be paid
187-2008
सचिव

भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति च०
(बांधगोडा)




Law to be paid
187-2008
सचिव

भारत एकता गृह निर्माण सहयोग समिति च०
(बांधगोडा)

Shiv Shankar Jaiswal

Registered under
Grouped under Govt.
Provida Housing
No. 2381 F dated
23rd October 1974



हरताम्तरित जमीन जो समिति के सदस्य को दी जा रही है उस पर सदस्य का अधिकार रहेगा और वह समिति के नियमावली अनुसार उसपर गृह-निर्माण करने का अधिकारी होगा तथा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पालन करने के लिये बाध्य रहेगा :-

नियम एवं शर्तें

1. सदस्य को निबंधित प्लॉट का हक तभी प्राप्त होगा जब समिति द्वारा निर्धारित विकास संबंधी (Development Charges) राशि रजिस्ट्री होने के 60 दिन के अन्दर समिति में जमा कर देगा। उक्त निर्धारित अवधि तक विकास राशि जमा नहीं करने से समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह निबंधित प्लॉट को निरस्त (Cancelled) कर दे।
2. गमय समय पर समिति द्वारा तय किया गया विकास हेतु राशि (Development Charges) सदस्य को मान्य होगा और वह इसे देने के लिये बाध्य (Bound) रहेगा।
3. सदस्य को गृह निर्माण समिति के नियमानुसार करना होगा। गृह निर्माण के लिये गृह नक्शा समिति द्वारा अनुमोदित (Approved) करने पर ही सदस्य गृह निर्माण कर सकते हैं।
4. सदस्य को अपने ही क्षेत्र में समिति के नियमानुसार धर बनाने का अधिकार होगा। वह किसी भी तरह का अधिक घेरा (Encroachment) नहीं कर सकता है।
5. सलाना मालगुजारी जो सरकार को देय होगी वह सदस्य को देना होगा।
6. नगरपालिका द्वारा जारी कि गयी सभी प्रकार के टैक्स सदस्य को देना होगा।
7. अपने और अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ सुथरा-रखने की जिम्मेवारी सदस्य पर होगी।
8. किसी तरह का झगड़ा (Dispute) होने पर समिति का कार्यकारिणी समिति (Board of Directors) का निर्णय सदस्यों को मान्य होगा।
9. कोई भी सदस्य अपना आर्बिट्रल प्लॉट स्वयं नहीं बेच सकता है। समिति के आर्यम से उसी व्यक्ति को बेच सकता है जो इस समिति को सदस्यता ग्रहण किया हो।
10. समिति द्वारा निर्धारित जलापूर्ती एवं बिजली व्यय सदस्य को जमा करना होगा।
11. समिति का सभी नियमावली सदस्य को मान्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर उसे समिति की सदस्यता से बंचित किया जा सकता है तथा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सारी सुविधायें (सड़क, पार्क, स्कूल, क्लब, बिजली, पानी, इत्यादि) से बंचित कर दिया जा सकता है तथा निबंधित प्लॉट को निरस्त (Cancelled) किया जा सकता है।

अतः मैं समिति के तरफ से सरल मन एवं स्वस्थ दिमाग से इस दस्तावेज को सम्पादन किया। ताकि समय पर काम आवें।

The original and duplicate are True and exact reproduction of each other

18-7-2008
सचिव
शिव शंकर जैसवाल



Shiv Shankar Jaiswal

अंग्रेजी दिनांक 18-7-2008

(दस्तावेज सदस्य को पढ़कर सुनाया गया)


गवाह :-

1. मजिस्ट्रेट (मालगुजारी) का कार्यालय
2. अंग्रेजी दिनांक 18-7-2008
- 3.

Shiv Shankar Jaiswal

Shiv Shankar Jaiswal

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का निम्न दस्त क्षेत्र में सही है।



सचिव
18-7-2008

सचिव
शिव शंकर जैसवाल